

पत्रांक

/आय०क०उत्तरा०/विधि—अनुभाग/09—10/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि—अनुभाग)  
दिनांक:::देहरादून:::। १८ नवम्बर—०९

समस्त डिप्टी कमिशनर(क०नि०)वाणिज्य कर  
समस्त असिस्टेंट कमिशनर,वाणिज्य कर ।  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी ।

शासन द्वारा अधिसूचना सं०—८७०/२००९/य०ओ० २९/ xxvii (८)/२००९/  
दिनॉक ०६ नवम्बर, २००९ जारी करते हुये उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा  
जे०एन०एन०य० आर०एम० योजना के अंतर्गत टाटा मोटर्स, रीजनल सेल्स ऑफिस, देहरादून से क्य  
की जाने वाली १४५ सिटी बसों की खरीद पर देय मूल्य वर्धित कर(वैट)की पूर्ण छूट(रिबेट)अनुमन्य  
किये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान की है ।

शासन द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश  
के साथ प्रेषित है कि शासन के दिशा—निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें ।

संगलन—उपरोक्तानुसार ।

(एल०एम०पन्त)

आयुक्त कर

उत्तराखण्ड ।

पृ०प०स० ३५२८/दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

१. प्रमुख सचिव, वित उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
२. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्ड्रानगर, देहरादून।
३. अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
४. एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।
५. एडिशनल कमिशनर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
६. समस्त ज्वाइंट कमिशनर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी  
को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर<sup>1</sup>  
अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के  
अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
७. ज्वाइंट कमिशनर(अपील)वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
८. ज्वाइंट कमिशनर(वि०अनु०शा०/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।
९. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से  
प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का  
कष्ट करें।
१०. श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ २२५ आर्शीवाद इल्कलैव  
देहरादून।
११. पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी०ओ०य० परियोजना कार्यालय आई०आई०टी०रुड़की।

(२१६३)

—2—

- ✓ 12. संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।  
13. इन्टावैट ईन्फो प्रा०लि०४, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर०सिधुआ मार्ग मुम्बई—400001।  
14. नेशनल लॉ हाउस बी—२ मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।  
15. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—१५/५ राजनगर गाजियाबाद।  
16. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्र कम्पाउण्ड राजनगर, गाजियाबाद।  
17. डिप्टी कमिशनर(उच्च न्याय०कार्य०)वाणिज्य कर, नैनीताल।  
18. दी होलसेल डीलर्स एस० १४, आढ़त बाजार देहरादून।  
19. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एस० २२२/५ गॅधी ग्राम, देहरादून।  
20. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।  
21. विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

11/11/2009  
आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड।  
✓

## उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग-8

सं० / 2009 / यूओ० 29 / XXVII(8) / 2009  
दिनांकः देहरादून :: 6 नवम्बर, 2009

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-

अतएव, अब, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) संपाठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा जे०एन०एन०यू०आर०ए० योजना के अन्तर्गत टाटा मोटर्स, रीजनल सेल्स ऑफिस, देहरादून से क्रय की जाने वाली 145 सिटी बसों की खरीद पर देय मूल्य वर्धित कर (वैट) की पूर्ण छूट (रिबेट) अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० ४७० / 2009 / यूओ० 29 / XXVII(8) / 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियों वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

*Wenraal*  
(सी०एस०सेमवाल)  
अपर सचिव, वित्त।

वित्त-  
आवश्यक कार्यवाही करे

for of 110

6604  
9-11-09

New Vigyapti/ BUS 145/DT भवार अंतर्राज्यिक नियम  
उत्तराखण्ड देहरादून


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No 870 /2009 / U.O. 29 /XXVII(8)/ 2009 dated 6 November, 2009 for general information.

**Uttarakhand Shasan**  
**VITTA VIBHAG-8**  
**NO. 870 / 2009 / U.O. 29 /XXVII(8)/ 2009**  
**Dehradun :: Dated: : 6 November, 2009**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow full rebate of Value Added Tax (VAT) on 145 city buses to be purchased by Uttarakhand Transport Corporation, Dehradun from Tata Motors Ltd., Regional Office, Dehradun under the J.N.N.U.R.M. Scheme.

  
(ALOK KUMAR JAIN)  
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE